<u>**प्रेस विज्ञप्ति**</u>

सरकार ने इरेडा बॉण्ड को धारा 54 ईसी के तहत कर लाभ का दर्जा दिया

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) द्वारा जारी बॉण्ड्स को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अधीन 'दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

इस अधिसूचना के अनुसार, पाँच वर्षों के बाद भुनाए जाने वाले और अधिसूचना तिथि को या उसके बाद इरेडा द्वारा जारी किए गए बॉण्ड्स, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत कर छूट लाभों के लिए पात्र होंगे, जोकि निर्दिष्ट बॉण्ड्स में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर छूट प्रदान करता है। इन बॉण्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से उन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अपने परियोजना राजस्व के माध्यम से ऋण चुकाने में सक्षम हैं, और ऋण चुकाने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं होंगी।

पात्र निवेशकगण एक वित्तीय वर्ष में इन बॉण्ड्स में निवेश करके 50 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर कर बचा सकते हैं। इरेडा को निधियों की कम लागत का लाभ मिलेगा, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, और इसके बदले में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तीव्र विकास को समर्थन प्रदान करेगा।

इस अधिसूचना का स्वागत करते हुए, इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा कि, "हम इस मूल्यवान नीतिगत पहल के लिए वित्त मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रति अत्यंत आभारी हैं। सरकार द्वारा यह मान्यता देश में नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण में तेजी लाने के लिए इरेडा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पुष्ट करती है। हमारे बॉन्डों को कर-मुक्त दर्जा मिलने से एक आकर्षक निवेश अवसर उपलब्ध होगा, साथ ही हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूँजी की उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित होगी, जिससे वर्ष 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान मिलेगा।"

इस कदम से कर-बचत के साधनों की तलाश करने वाले निवेशकों की व्यापक भागीदारी आकर्षित होने और देश में नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत करने की आशा है।